

फर्द अहकाम


नीलू उर्फ तुलसी बनाम चिरंजीलाल वगै०

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
--------	----------------------	-------------

23.03.2022

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादी वकील उपस्थित आज पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी०पी०सी० सपठित धारा 53(5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रतिवादी संख्या 12 रामप्यारी देवी की ओर से प्रस्तुत किया गया पर सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी 12 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादी द्वारा वाद में मुख्य अनुतोष वादग्रस्त भूमि का विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत चाहा है परन्तु वादी द्वारा वाद पत्र के माध्यम से एक ही खाता का तकास्मा नहीं चाह कर भिन्न भिन्न खातों का तकासमा करवाने हेतु वाद पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है। जिसमें पक्षकार भी समान नहीं है अर्थात् एक समान खातेदार नहीं होने के बावजूद भी वादी ने एक ही वाद बाबत वादग्रस्त भूमि का विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(5) में वर्णित स्पष्ट प्रावधानों के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। जो विधि विपरीत होने के कारण चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। वकील अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत किया और अपने जबाव प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या तीन में स्वयं कहा है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 एक ही परिवार के सदस्य है। और आगे यह भी कहा कि चूंकि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 सभी खातों की भूमि में समान पक्षकार है। पक्षकार समान होने के आधार पर एक ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। वाद बहुलता के कारण वादी द्वारा एक ही वाद प्रस्तुत किया गया है।

बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र व जबाव प्रार्थना पत्र किये गये कथनों और विधि के प्रावधानों का अनुसरण करने पर प्रकट होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एक खाते पर प्रस्तुत नहीं कर एक ही वाद में अन्य खातों पर भी वाद प्रस्तुत किया है परन्तु पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में जमाबन्दी में समान पक्षकार ना होकर असमान पक्षकार संयोजित किये गये है जिसके कारण वादी द्वारा विधि के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से अवहेलना की गयी है। विधि में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि एक से अधिक जोत के बंटवारे के लिए एक ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है कि बशर्ते कि पक्षकार वे ही हो अर्थात् समान हो। इस स्तर पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० सपठित धारा 53 (5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।


 उप-खण्ड अधिकारी
 जयपुर (दिलीप)

